694 व्यक्ति भर्ती किये जिसमें से 615 व्यक्ति दिहाड़ी कर्मचारी थे, जो भर्ती पर रोक लगाये जाने के पहले से कार्य कर रहे थे तथा उन्हे न्यायालय के आदेशों के आधार पर नियमित किया गया था। इस प्रकार सुपर बाजार में की गयी नयी भर्ती मुख्य रूप से फार्मासिस्ट, आशुलिपिक, वैज्ञानिक सहायक, विधि अधिकारी आदि जैसी तकनीकी श्रेणियों में की गयी। इस समय सुपर बाजार में कुल 2145 कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 227 और 5 हैं। जहां तक प्रोन्नति में आरक्षण का सम्बन्ध हैं, इसे 12.4.97 से लागू किया गया हैं। सुपर बाजार में आरक्षण रोस्टर 1.7.98 से शुरू किया गया हैं।

(घ) सुपर बाजार ने सूचित किया हैं कि उन्होने 23.5.98 से तीन महीने की अवधि के लिये एक सहायक महाप्रबंधक को स्थानापन्न उप महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति दूसरे उप महा प्रबंधक के छुट्टी पर जाने के कारण रिक्त हुए पद पर की गयी हैं। यह सच हैं कि अधिकारी को चार्जशीट दी गयी है। तथापि, संगठन में वरिष्ठ आधिकारियों की कमी को देखते हुए तथा संगठन के दिन प्रतिदिन के कार्यो के हित में सुपर बाजार द्वारा स्थानापन्न नियुक्ति की गयी हैं।

श्री चुन्नी लाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, जो उत्तर मिला हैं उसमें यह दिया हैं कि 1984 में सुपर बाजार में साढ़े सात प्रतिशत प्रत्येक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और साढ़े सात प्रतिशत का कोट रखा तथा 1998 में आरक्षण रोस्टर शुरू किया। इन उत्तरों के बाद मेरा पहला पूरक प्रश्न हैं कि क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि 1984 से 1988 तक जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा नहीं किया गया हैं उसको पूरा करने के लिए क्या कोई विशेष अधिनियम की योजना है?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : मार्च , 1988 मे (रिक्रूटमेंट पर बैन लगा दिया और उकसे बाद फ्रैश रिक्रूटमेंट नही हुआ, अभी भी फ्रैश रिक्रूटमेंट शुरू नहीं किया गया हैं। जब भी फ्रैश रिक्रूटमेंट होगा तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

श्री चुन्नी लाल चौधरी : जैसा कि सूचित किया गया हैं कि 23.5.98 को तीन महीने की अवधि के लिए एक सहायक महाप्रबंधक को स्थानापन्न उप महाप्रबन्धक के रूप में नियुक्त किया गया हैं। मेरा प्रश्न यह हैं कि जिस उप महाप्रबंधक को नियुक्त किया गया हैं क्या वह चार्ज-शीटेड अफसर नहीं है, सहायक उप महाप्रबंधक के रूप में चार्जशीटेड नहीं हैं? क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया हैं? और यदि किया गया हैं तो उनके खिलाफ क्या कोई डिसिप्लनेरी एक्शन हो रहा हैं?

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : उस अफसर के खिलाफ केस था, उसके खिलाफ शिकायत थी। उस पर तो डिसिप्लनेरी एक्शन हो रहा हैं। उसको नोटिस दिया गया हैं। लेकिन अफसरों की कमी की वजह से इनको यह तीन महीने के लिए टैम्परेरी प्रमोशन दी गई है।

रेल गाड़ियों और रेलवे द्वारा संचालित कैंटीनों में गोश्त परोसा जाना

*270 **श्री मोहम्मद आज़म खान** :
मौलान ओबैदुल्ला खान आज़मी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलगाड़ियों और रेलवे द्वारा संचालित कैन्टीनों में मछली को छोड़कर सभी प्रकार के गोश्त का परोसा जाना बंद कर दिया जाएगा; यदि नहीं, तो क्या वहां "जबीहें" के गोश्त के बजाय "झटके" का गोश्त परोशा जाएगा और क्या ऐसे संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों, जो "जबीहें" के गोश्त के अलावा कोई अन्य गोश्त नहीं खा सकते, के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : जी, नहीं। मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

श्री मोहम्मद आजम खान : चेयरमैन सर, यह कुछ ऐसा सवाल हैं जो मन से भी जुडा हुआ है। अब तक किसी के यह पूछने पर कि रेलवे द्वारा संचलित कैन्टीन में गोश्त कैसा हैं, तो हालत और झटके की सूचना दी जाती थी। मुसलमान क्योंकि झटका नहीं खाते हैं और हलाल गोश्त ही खाते हैं, लिहाजा कोई ऐसी व्यवस्था का प्रावधान उन सदस्यों के लिए जो झटके का गोश्त नहीं खाते हैं, हलाल खाते हैं, हलाल गोश्त का इन्तजाम किया जाएगा?

श्री नीतिश कुमार : सभापति जी, मैं न झटका खाने वाला हूं और न हलाल खाने वाला हूं, मैं तो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं। लेकिन यह सवाल मांसाहारी लोगों से जुड़ा हुआ हैं। जहां तक पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स कैन्टीन का सवाल हैं, मुझे सूचना दी गई हैं कि यहां हलाल मीट ही सप्लाई किया जाता हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया :सर, झटका खाने वालों क्या होगा ? वेजीटेरियन तो मैं भी हूं लेकिन यह तो बड़ी गम्भीर बात हैं कि आज तक बिना बताएं लोगों को हलाल मीट की पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स कैन्टीन में खिलाया जाता रहा हैं। या तो इस बात को लुकाकर रखते और जब यह बता दिया हैं तो यह बड़ी सीरियस बात हैं।

श्री नीतिश कुमार : यह तो सवाल पूछने वाले को सोचना हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : इतने हिन्दू और सिख हैं जो झटका छोड़कर खाते नहीं हैं। अगर आप झटके के नाम पर हलाल गोश्त खिला रहे हैं तब तो लोगों को अपने जनेऊ बदलने पड़ेगे।

श्री ओंकार सिंह लखावत : सभापति महोदय, यह गंभीर मसला है। सामान्य बात नहीं हैं। संसद क्षेत्र के अंदर, जो लोग हलाल नहीं खाते उनको हलाल खिलाया जा रहा हैं। हलाल न होने पर तो अभी हमारे मित्र ने सवाल किया। वह अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन रेल मंत्री ने सवाल किया। वह अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन रेल मंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी भी देख लें कि संसद में जो लोग हलाल नहीं खाते उनको हलाल का गोश्त न पुरसा जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह धर्म के साथ खिलवाड़ होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कितने वर्षो से हो रहा हैं यह आप कृपया बता दें। .....(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : यहां पर गोश्त बंद कर दीजिए, किसी को सर्व करना बंद कर दीजिए .....(**व्यवधान**)... यह एकदम गलत बात हैं। चेयरमैन साहब, आप इस मामले में इंटरवीन करें और जनरल पर्पज कमेटी की बैठक बुलाकर इस बारे में कोई फैसला लीजिए। यह बड़ा सीरियर्स मामला हैं जो यहां पर लोगों को हलाल खिलाया जा रहा हैं।

श्री नीतीश कुमार : आप बैठ जाइए अभी तो मैं जवाब दूंगा। .....(**व्यवधान**)...

सभापति महोदय, जब से यह प्रश्न मेरे सामने आया तब से मुझे बड़ी परेशानी हैं। मैने अपनी परेशानी व्यक्त भी की, विभाग में भी व्यक्त की। मैंने पूरी खोजबीन की कि क्या मामला हैं। अब तक इस तरह का प्रश्न, यह सवाल कभी नहीं उठता था। मीट को आइंडेंटीफाई करना कि सप्लायर झटका मीट दे रहा है या हलाल मीट दे रहा हैं यह संभव नहीं हैं। .....(**व्यवधान**)... मेरी पूरी बात तो सुन लें।

श्री सभापति : पहले सुन तो लें उसके बाद कहें।

श्री एस.एस अहलुवालिया : लेकिन आप यह बात गलत कह रहे हैं। जब कोई भी गवर्नमेंट आर्गनाइजेशन, कोई भी होटल मीट का टेंडर निकालता हैं तो उसमें कहता हैं कि हमें इतने किलो झटका चाहिए और इतना किलो हलाल चाहिए। आम अगर रेलवेज के लिए गोश्त ले रहे हैं तो किस चीज को लेना हैं और किस चीज को नहीं लेना हैं इसे कौन बताएगा या कौन बता सकता है?

श्री नीतीश कुमार : आप जरा सुन लीजिए। आप झटका खाते हैं, वह हलाल खाते हैं। मैं दोनों में से कुछ नहीं खाता हूं। .....(**व्यवधान**)...

श्री नीतीश कुमार : सर, क्योंकि यह सवाल उठ गया हैं इसलिए इसको पूरा एक्सप्लेन करने का मौका मिलना चाहिए। अलग अलग चीजों की आपूर्ति होती हैं। जहां तक मीट का सवाल हैं अगर आप कहें तो किस रेलवे की क्या कमेंट हैं, वह भी मैं अभी यहां पर पढ़कर सुना सकता हूं। लेकिन इसके पहले यह सवाल कभी नहीं उठता था। आमतौर पर जो मीट का टेंडर मीट के बेस किचन के लिए किए जाते हैं, जो चलती गड़ियों में सप्लाई होती हैं या जो कैटरिंग स्ट्रैटिक प्वांइट पर होती हैं उनको सप्लाई होती हैं, उनके लिए सरकारी क्षेत्र में या रेलवे जो कैंटीन खुद चलाती है उनमें, या वहां जो गैर सरकारी कैटरिंग चलती हैं, जिनको गैर-सरकारी ठेकेदार चलाते हैं, उन सबों को आमतौर पर गोश्त के बारे में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता हैं कि सप्लाइयर क्या गोश्त दे रहा हैं।SHRI MD. SALIM: Sir, let him seek a second supplementary.

MR. CHAIRMAN: He is replying. Let him finish.

श्री नीतिश कुमार : मेरे सामने जो अभी तक रिकार्डस लाए गए हैं उसके हिसाब से जवाब दे रहा हूं। मैं मात्र तीन महीने, सौ दिन मंत्री रहा हूं। इसलिए आप मेरी पूरी बात समझ लीजिए। .....(**व्यवधान**)... जिस तरह से भी पूरा हुआ लेकिन हुआ हैं और बाकी के पांच साल भी ऐसे ही पूरे हो जायेंगे। आप अंदाजा करते रहेंगे और गाड़ी चलती रहेंगी। .....(**व्यवधान**)... आप तो कविता पढ़ते रहे हैं। मुझे दोनों में से किसी में भी दिलचस्पी नहीं हैं, कवि जी मेरी दिलचस्पी दोनों में से किसी में नहीं हैं।

श्री सभापति : वह दोनों खाते होंगे।

श्री बालकवि बैरागी : मैं तो जन्मजात बैरागी आदमी हूं। मैं न यह करता हूं और न वह करता हूं।

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, मैंने जब पता किया तो मुझे जानकारी मिली कि आमतौर पर पार्लियामेंट से जुड़ी हुई कैटरिंग में हलाल मीट की आपूर्ति होती थी। लेकिन 1996 में नार्दन रेलवे के एस.सी.एस. लेवल के अधिकारी ने 1996 में टेंडर निकाले। जिसमें यह कहा गया कि हलाल मीट यहां दिया जाए और वह टेंडर 1997 में हुआ। वह अक्तूबर, 1997 से अप्रैल तक का टेंडर था, वह टेंडर अब समाप्त हो चुका है। नया टेंडर बुलाया गया, आमन्त्रित किया गया लेकिन कोई सामने नहीं आया। तो लोकल मार्किट से परचेज हो रहा हैं ।ऑन रिकार्ड 1996 में, जितनी भी फाइल मैंने देखी, किसी वरिष्ठ अधिकारी का कोई आदेश नहीं मिला। मैंने बहुत जानने की कोशिश की और जो जानकारी मुझे अनौपचारिक तौर से मुझे मिली, वह औपचारिक रूप से बताना मेरे लिए कठिन हैं क्योंकि यह एक संवेदनशील मामला हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के सवाल और इस सवाल पर आग्रह या पार्लियामेंट में मीट के बारे में आइडेंटिफाई करना यह हलाल मीट हैं या झटका मीट हैं, जहां वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल अलग अलग हो जाता हैं। हम को यह बताया गया कि बर्तन भी अलग रखे जाते है।जो वेजिटेरियन खाने वाले लोग हैं, उनके बर्तन भी अलग रखे जाते हैं और जो नॉन वेजिटेरियन खाने वाले हैं, उनके बर्तन भी अलग रखे जाते हैं, मुझे बताया गया हैं,विभाग के द्वारा जानकारी दी गई हैं । लेकिन जहां तक मीट खाने वालों का सवाल हैं, मीट खाने वालों के लिए यह आइडेंटिफाई करना कि यह झटका साइड रहेगा, यह हलाल साइड रहेगा, इसमें व्यावाहारिक कठिनाई हैं। सभापति महोदय, आप जो निर्देश दें, आपका निर्देश सर्वोपरिहै। जो यहां से निर्देश मिलेगा, उसका पालन किया जाएगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : वेजिटेरियन कर दीजिये ...(**व्यवधान**)...

मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी : मुसलमान जो गोश्त खाता हैं ...(**व्यवधान**)...

†مولانا حبیب الرحمن نعمانی : مسلمان جو گوشت کھاتا ہے..."مداخلت"...

श्री मोहम्मद आज़म खाना : मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी क्वेश्चन हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : उनका सेकेंड सप्लीमेंटरी हैं, वह तो करने दीजिये। ...(**व्यवधान**)... उनका राइट तो उनको मिल जाए।

श्री मोहम्मद आज़म खानः सभापति महोदय, यह हो सकता हैं कि अभी तक यह जानने की जरूरत पेश आई हो कि किस तरह का मीट यहां खाया जा रहा हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद कम से कम यह सोचा जाना चाहिये था कि केंटीन में ...(**व्यवधान**)...

श्री एस.एस.अहलुवालिया : यह क्या कह रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री मोहम्मद आज़म खान : अब मुझे कहने दीजिये। आपको जो कहना था, आप कह चुके हैं। दूसरों को बोलने दिया कीजिये। मेरे लिए यह बिल्कुल कष्ट का विषय नहीं होगा कि यहां मीट बिलकुट बंद कर दिया जाए, शाकाहारी रहे लेकिन अगर यहां मीट मिलता हैं तो यह व्यवस्था जरूर होनी चाहिये कि मुसलमानों के लिए या उन लोगों के लिए जो हलाल मीट खाना चाहे, उनके लिए हलाल की व्यवस्था हो वरना इसमें कोई कष्ट नहीं होगा कि केंटीन से गोश्त का सिलसिला ही खत्म हो जाए, केंटीन वेजिटेरियन रहे। लेकिन अगर यहां गोश्त हो, आपका मन और मानसिकता चूंकि मालूम थी, इसलिए यह प्रश्न किया गया हैं, अभी जैसे कि हमारे दूसरे सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की कि जो झटका खाते हैं, उनको अब तक हलाल क्यों खिलाया गया। यह सवाल अब से पहले अगर यहां उठा होता तो मैं यह कह सकता हूं कि यह जवाब न होता क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार में भी हलाल गोश्त मिलता रहा। लिहा़जा मैं यह जानना चाहूंगा और मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी कि गोश्त न मिले लेकिन अगर गोश्त मिले तो

†[]Translitration in Arabic script.

हलाल और झटका सुनिश्चित किया जाए ताकि हलाल खाने वाले हलाल खाएं और झटका खाने वाले झटका खाएं। इस प्रकार की अगर सरकार कोई व्यवस्था कर सकती हो तो करे अन्यथा यह गोश्त का सिलसिला खत्म होना चाहिये। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : अब मिनिस्टर का जवाब आ लेने दीजिये।

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, इस संबंध में जो वस्तु-स्थिति हैं, मैं उससे सदन को अवगत करा चुका हूं। मैं नहीं समझता कि यह कोई सवाल और जवाब का आधार बनता हैं। क्या किया जाए, इसका सवाल उठता हैं। एक सुझाव उन्होने दिया हैं कि मछली और अंडा जो होता हैं, वह न हलाल होता हैं और झटका होता हैं। रेलवे में पूरे देश में यह सिस्टम लागू किया जा सकता हैं कि नॉन वेजिटेरियन में सिर्फ अंडा और मछली की आपूर्ति की जाएगी, इसके लिए किसी अन्य नॉन वेजिटेरियन आइटम निर्देश हो तो जरूर यह निर्णय लिया जा सकता हैं लेकिन इसके लिए पूरा आपका निर्देश चाहिये।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : यही कर दीजिये। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश प्रधान :सभापति महोदय, हमारे मुंबई में म्युनिसिपल कारपोरेश का स्लाटर हाऊस हैं, सारा काम वहीं पर होता हैं। वहां पर इलेक्ट्रिक से पहले झटका हो जाता हैं और फिर कटिंग हो जाता है। वही मीट पूरे मुंबई में सप्लाई किया जाता हैं, मुंबई में जिस ढंग से होता हैं सब जगह यही व्यवस्था की जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। ...(**व्यवधान**)... यहां पर अलग अलग बाहर से, कहीं से काट कर लाने की व्यवस्था होती हैं। जो म्युनिसिपल कमेटी के स्लाटर हाऊस में कटिंग होती है वहां से सप्लाई करना शुरू कर दें तो फिर उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Functioning of IGNCA

*263. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is an inherent contradication in the basic functioning of IGNCA wherein the 'trustees' have made themselves 'life time trustees' following an amendment in the original trust deed but not even a single employee has been confirmed;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the steps Government propose to take to resolve the above contradiction and thereby grant confirmation status to all the employees; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (d) The Trust Deep of IGNCA, as amended in May, 1995, provides for life trustees.

According to the information furnished by IGOCA all appointments in the Centre are project-based and are temporary. Central Government rules are followed to the extent applicable.

The opinion of the Attorney General of India has been sought on the amendments carried out to the trust deed and the options open to the Government.

Indira Mahila Yojana

*264. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details regarding the grants given to the States under the States under the Indira Mahila Yojana during the last two years, State-wise;

(b) the number of women benefitted;

(c) the States which have not been given grant under the Yojana; and

(d) the reasons therefore?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

(a) No grants have been released under Indira Mahila Yojana to the States druring the last two years;

(b) As per available information, 31,000 women's groups have been formed to benefit